कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय,महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल** के माह 02/2016 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री **ए.के. श्रीवास्तव**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री **खजान सिंह**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री **आनन्द कुमार पाण्डेय**, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.05.2017 से 23.05.2017 तक श्री **प्रेमचन्द**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्रीराम सनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस0के0सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.02.2016 से 12.02.2016 तक श्री पी0सी0 श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी।जिसमें माह 02/2015 से 01/2016तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2015 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- नैनीताल

(ii) (अ)विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष	स्थापना	गैर स्थापना	आधिक्य(+)	बचत(-)

	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	7671.32	7671.32	520.20	520.20	00.00	00.00
2015-16	-	-	8787.47	8787.47	494.22	494.22	00.00	00.00
2016-17 (4/17)	-	-	10921.86	10921.80	548.17	548.17	00.00	00.00

(ब)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य(+)	बचत(-)
.....शून्य.....					

(iii)इकाई को बजट आवंटन(स्रोत-राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई कार्यालय, वरिष्ठ पुलिसअधीक्षक, नैनीताल 'ए' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-क्षेत्राधिकारी-निरीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक, उपनिरीक्षक-हे.का.-का.

(iv)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन ..... को आच्दादित किया गया। यह

निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

.....शून्य.....

.....

भाग-दो 'ब'

<u>प्रस्तरः01-</u> रू0 10 लाख की धनराशि का यातायात व्यवस्था पर अनियमित व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 562/xxvii(71)/2010 दिनांक 24.05.2010 के अनुसार भण्डार और सामग्री/ नई साज/सज्जा/ कार्यालय उपयोग हेतु उपकरण/ विशिष्ट विभागीय कार्य हेतु उपकरम व संयत्र का क्रय हेतु कोई वित्तीय अधिकार प्राप्त नही है।

कार्यालय पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड देहरादून के द्वारा जनवरी 2017 में यातायात सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष में रू0 10 लाख की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस कार्य हेतु कार्यालय द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया। तीन निविदाताओं ने उक्त निविदा में भाग लिया। उसमें से एक निविदा की न्यूनतम दरे होने के कारण चयन किया गया था। और उक्त सामग्री क्रय कर लिया गया।

कार्यालय के यातायात सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पत्रावली की जांच में पाया गया है, कि रू 10 लाख की धनराशि का यातायात व्यवस्था पर व्यय हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कोई वित्तीय अधिकार नही है। उसके बाद भी निविदा आमंत्रित की गई। आगे जांच में पाया गया है कि यातायात सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय क्रय कमेटी गठित नही की गई। क्रय कमेटी गठन के पश्चात भी निविता प्रक्रिया की जानी थी। लेकिन बिना कमेटी गठित किये ही निविदा की गई थी। उस निविदा को कमेटी के सदस्य द्वारा खोला जाना चाहिए। न्यूनतम फर्म का चयन कर क्रय आदेश दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा न कर केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निविदा प्रपत्र खोला गया। वित्तीय निविदा प्रपत्र एवं तुलनात्मक विवरण में जिला स्तरीय कमेटी के हस्ताक्षर न हो कर केवल पुलिस अधीक्षक द्वारा ही चयन पर क्रय आदेश दे दिया गया। बिना बिल प्राप्त किये ही उक्त फर्म को सी0ओ0 690/707 दिनांक 15.09.16 का भुगतान कर दिया गया। फर्म को भुगतान की गयी रू 10 लाख में धनराशि में से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती रू 20000 बिल से नही किया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि भविष्य में क्रय समिति का गठित कर निविदा प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। तथा फर्म के बिल से आयकर 2 प्रतिशत की दर से रू 20000 की कटौती की जायेगी। लेकिन वित्तीय अधिकार न होने के सम्बन्ध में कोई उत्तर नही दिया गया

है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण बिना वित्तीय अधिकार ने होने के बावजूद बिना क्रय समिति के गठन किये ही निविदा प्रक्रिया कर एवं बिना बिल प्राप्त किये ही भुगतान कर दिया गया था।

अतः रू 10 लाख की धनराशि का यातायात व्यवस्था सुधार पर अनियमित व्यय किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः2- रू 11.52 लाख का अर्थ दण्ड कार्यदायी संस्था/ ठेकेदार से वसूल न किये जाना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्च 2009 में जनपद नैनीताल में थाना हल्द्वानी 12 काठगोदाम एवं पुलिस कलब का निर्माण चोरगलिया 6 आवास का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008.09 में रू 212.61 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसके सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि वर्ष 2009 से 2014 तक अवमुक्त कर दी गई थी। उस कार्य हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग खण्ड हल्द्वानी को नामित किया गया था। अनुबन्ध माह मार्च 2014 में किया गया। कार्य पूर्ण करने का माह सितम्बर 2015 निर्धारित किया गया था। परन्तु कार्य सम्प्रेक्षा तिथि मई 2017 तक कार्य अपूर्ण है।

उत्तराखण्ड शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014.15 में रिपोर्टिग पुलिस चौकी मंगलपडाव के भवनो का निर्माण हेतु रू 72.55 लाख की धनराशि एवं रिपोर्टिग पुलिस चौकी रामगढ के भवनों का निर्माण हेतु रू 78.15 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त कार्य हेतु सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गई। उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम हल्द्वानी को नामित किया गया

था। उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु माह मार्च 2015 में अनुबन्ध किया गया। माह मार्च 2016 में पूर्ण कर हस्तगत किया जाना था।

कार्यालय के निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया है कि उपरोक्त निर्माण अनुबन्ध की तिथि से 19 माह एवं 11 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण थें। जबकि समझौता ज्ञापन के शर्त 14 के अनुसार कार्य समय पर पूर्ण करेगे अन्यथा उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में .1 प्रतिशत प्रतिमाह तक एवं तीन माह से ज्यादा विलम्ब की स्थिति में ..25 प्रतिशत प्रति माह की कटौती निर्माण एजेन्सी को देय प्रतिशत सेन्टेज प्रभार से की जायेगी।

कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विलम्ब का माह	.1 प्रतिशत की दर से 3 माह कटौती की धनराशि	.25 प्रतिशत की दर से 3 माह से अधिक कटौती की धनराशि
	212.61	212.61	03/2014	09/2011	19 माह	63783	850440
	72.56	72.56	05/2015	04/2016	11 माह	21762	145120
	78.15	78.15	05/2015	04/2016	11 माह	23445	156300
						108990	1151860

कुल योग रू (108990+1151860)=1260850

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई की उदासीनता के कारण अनुबन्ध की शर्त 14 का पालन करवाने में असमर्थ्य रहा। जिसके कारण निर्माण 2 कार्य में विलम्ब हुआ। विलम्ब कि स्थिति में कार्यदायी संस्था/ ठेकेदार से कोई अर्थ दण्ड वसूल नही किया गया था।

अतः रू 11.52 लाख का अर्थ दण्ड कार्यदायी संस्था/ठेकेदार से वसूल न किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः3-विभाग को संयोजन शुल्क से प्राप्त राजस्व के प्रति उदासीनता का प्रकरण।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड, मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून, दिनांकः जून 24,2016 के पत्र संख्या- डीजी-याता0प्र0-74/2016 द्वारा समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को 'मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन पर सयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने की वर्तमान प्रचलित एवं सयोंजन शुल्क की प्रयोग में लाई गयी पुस्तकों के रख-रखाव' के सम्बंध में निर्देशित किया गया था कि- मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उ0एस0नगर में संयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को प्रति-दिन एवं शेष जनपदों में उक्त धनराशि सप्ताह में एक बार (मंगलवार) को राजकोष में जमा कराया जायें। प्रत्येक जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण, रख-रखाव, संयोजन शुल्क धनराशि को समय से जमा कराने तथा जमा धनराशि का मिलान प्रत्येक तीन माह(जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर)/ में ऑडिट कराया जाये। तथा अपर पुलिस अधीक्षक/ उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई त्रैमासिक सम्प्रेक्षा का विस्तृत विवरण सम्बंधित जनपद प्रभारी पुलिस अधीक्षकों को दी जायें। समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा जमा की गयी संयोजन शुल्क धनराशि की छः माह की सूचना पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करे।

कार्यालय, वरिष्ठ पुसिल अधीक्षक, नैनीताल के संयोजन शुल्क से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उपर्युक्त निर्देशानुसार कार्यालय में संयोजन शुल्क की अपर पुलिस अधीक्षक/ उपाधीक्षक स्तरीय त्रैमासिक सम्प्रेक्षा नहीं करायी गयी थी न ही सम्प्रेक्षण की विस्तृत विवरण जनपद प्रभारी पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की गयी थी न ही कार्यालय में +त्रैमासिक विस्तृत विवरण का रख-रखाव किया जा रहा था और न जून, 2016 के बाद संयोजन शुल्क की छमाही रिपोर्ट का रख-रखाव किया जा रहा था, छमाही रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय- देहरादून को भी प्रेषित नहीं की गयी थी जबकि उपर्युक्त आदेशानुसार प्रत्येक छमाही में सदंर्भित रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए थी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,नैनीताल के द्वारा संयोजन शुल्क के प्रति विशेष ध्यान नही दिया जा रहा है तथा मुख्यालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित नही किया जा रहा था। जबकि पुलिस विभाग में संयोजन शुल्क/चालान से प्राप्ति राजस्व का मुख्य स्रोत माना जाता है।

लेखापरीक्षा परीक्षा द्वारा आपत्ति को इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा को संयोजन शुल्क के सम्बंध में उचित आख्या एवं आकड़े प्रस्तुत किये बिना ही आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया कि भविष्य में आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा। विभाग के उत्तर से 'राजस्व प्राप्ति' के प्रति विभागीय लापरवाई स्पष्ट होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः4- रू 3.43 लाख की गुप्त सेवा की धनराशि का कोई अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना।

कार्यालय के गुप्त सेवा धन प्राप्ति एवं व्यय सम्बन्धी अभिलेख की जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू 1.00 लाख तथा वर्ष 2016-17 में रू 2.43 लाख की धनराशि प्राप्त हुई तथा उसके सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर दी गई। परन्तु व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया था। और न ही व्यय के सम्बन्ध में कोई लेखा जोखा रखा जा रहा है।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा इंगित किये जाने पर विभाग न उत्तर में कहा है कि सूचना प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया था।

अतः रू 3.43 लाख की गुप्त सेवा की धनराशि का कोई अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः01- स्वीकृत से अधिक वाहन रहना।

कार्यालय के स्वीकृत वाहनों सम्बन्धी अभिलेखो की जांच में पाया गया है कि जनपद नैनीताल में स्वीकृत वाहन से अधिक उपलब्ध है। जिसका विवरम इस प्रकार है।

क्र0 सं0	वाहन का नाम	स्वीकृत	उपलब्ध	आधिक्य
1.	मोटर साइकिल	21	47	26
2.	हल्के वाहन	36	43	7
3.	मध्यम वाहन	02	9	7

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि उन उपलब्ध वाहनों का नियतन कराने हेतु पुलिस मुख्यालय से अनुरोध किया जायेगा। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग द्वारा अभी तक वाहनों को नियतन नही कराया जा सका था।

अतः स्वीकृत वाहन से अधिक वाहन रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
51/ 2015-16	शून्य	01	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
51/2015-16	01 भाग- दो ब			
	2.97 लाख का समायोजन न किया जाना	अप्रस्तुत	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु वरिष्ठ पुलिसअधीक्षक, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

2- सतत् अनियमितताये:- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब मे
1	सुश्री स्वीटी अग्रवाल	वरि0 पुलिस अधीक्षक	9.10.15	21.09.2016
2	श्री जनमेजय प्रकाश कैलाश	वरि0 पुलिस अधीक्षक	22.09.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, पुलिस उप-महानिरीक्षक कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

G.S/AIR-09/2017-18

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र